

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2643

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

पश्चिम बंगाल को आवंटित निधि

+2643. श्री राजू बिष्ट:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सहकारिता मंत्रालय के आरंभ से अब तक चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित या वित्तपोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पश्चिम बंगाल, विशेषकर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में विशिष्ट योजनाओं के लिए कितनी निधियों का आवंटन किया गया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): सहकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी स्थापना से लेकर आज तक विभिन्न योजनाओं के अधीन पश्चिम बंगाल राज्य को आवंटित और उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा **संलग्नक-‘क’** और **संलग्नक-‘ख’** में दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधि का आवंटन नहीं करता है। तथापि, पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित सहकार प्रायोजित योजना और अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और विकसित करने तथा फसल-उपरांत सुविधाएं स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NCDC सहकारी समितियों के विकास के लिए उन्हें ऋण (सावधि ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह ऋण घटक NCDC के अपने कोष से प्रदान किया जाता है जबकि, अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं से डवटेल करके पात्र सब्सिडी प्रदान की जाती है। NCDC द्वारा सहायता प्राप्त कार्यकलापों की सूची में विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत श्रृंखला, औद्योगिक, सहकारी समितियों के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, ऋण और सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं, सहकारी बैंकिंग इकाई, कृषि सेवाएं, जिला नियोजन की योजनाएं, कमजोर वर्ग की सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता, प्रचारात्मक और विकासात्मक कार्यक्रम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में स्थापना के बाद से NCDC द्वारा जिला-वार संवितरित ऋणों का ब्यौरा **संलग्नक -‘ग’** में दिया गया है।

PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना का

क्रम सं.	जिले का नाम	कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित PACS की संख्या	भारत सरकार से आबंटित और प्राप्त निधियां (रुपये)	उपयोग की गई धनराशि (रुपये)
1	अलीपुरद्वार	36	26,38,444.92	26,38,444.92
2	बांकुड़ा	204	1,49,51,187.90	1,49,51,187.90
3	बीरभूम	272	1,99,34,917.21	1,99,34,917.21
4	कूचबिहार	108	79,15,334.77	79,15,334.77
5	दक्षिण दिनाजपुर	89	65,22,822.17	65,22,822.17
6	दार्जीलिंग	44	32,24,766.02	32,24,766.02
7	हुगली	333	2,44,05,615.55	2,44,05,615.55
8	हावड़ा	121	88,68,106.55	88,68,106.55
9	जलपाईगुड़ी	85	62,29,661.63	62,29,661.63
10	झारग्राम	114	83,55,075.59	83,55,075.59
11	कालिम्पोंग	36	26,38,444.92	26,38,444.92
12	मालदा	146	1,07,00,359.97	1,07,00,359.97
13	मुर्शिदाबाद	251	1,83,95,824.33	1,83,95,824.33
14	नदिया	262	1,92,02,015.84	1,92,02,015.84
15	उत्तर 24 परगना	271	1,98,61,627.07	1,98,61,627.07
16	पश्चिम बर्धमान	17	12,45,932.33	12,45,932.33
17	पश्चिम मेदिनीपुर	418	3,06,35,277.18	3,06,35,277.18
18	पूरबा बर्धमान	405	2,96,82,505.40	2,96,82,505.40
19	पूरबा मेदिनीपुर	591	4,33,14,470.84	4,33,14,470.84
20	पुरुलिया	120	87,94,816.41	87,94,816.41
21	दक्षिण 24 परगना	161	1,17,99,712.02	1,17,99,712.02
22	उत्तर दिनाजपुर	83	60,83,081.35	60,83,081.35
	कुल	4167	30,54,00,000.00	30,54,00,000.00

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) कार्यालय की कंप्यूटरीकरण परियोजना

क्र.सं.	जिले का नाम	भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि (रुपये)
1	अलीपुरद्वार	18,000.00
2	बांकुड़ा	18,000.00
3	बीरभूम	18,000.00
4	कूचबिहार	18,000.00
5	दक्षिण दिनाजपुर	18,000.00
6	दार्जीलिंग	18,000.00
7	हुगली	18,000.00
8	हावड़ा	18,000.00
9	जलपाईगुड़ी	18,000.00
10	झारग्राम	18,000.00
11	कालिम्पोंग	18,000.00
12	मालदा	18,000.00
13	मुर्शिदाबाद	18,000.00
14	नदिया	18,000.00
15	उत्तर 24 परगना	18,000.00
16	पश्चिम बर्धमान	18,000.00
17	पश्चिम मेदिनीपुर	18,000.00
18	पूरबा बर्धमान	36,000.00
19	पूरबा मेदिनीपुर	36,000.00
20	पुरुलिया	18,000.00
21	दक्षिण 24 परगना	18,000.00
22	उत्तर दिनाजपुर	18,000.00
23	कोलकाता (मुख्यालय सहित)	54,000.00
कुल		4,86,000.00

इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन होस्ट करने के लिए क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर किराये पर लेने हेतु पूरे राज्य के लिए ₹18,90,000/- (अठारह लाख नब्बे हजार रुपये) आबंटित किया गया है।

संलग्नक- 'ग'

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पश्चिम बंगाल में जिलावार संवितरण (15.07.2025 तक)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	जिला	2021-22			2022-23			2023-24			2024-25			2025-26 as on 10.07.2025		
		ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल	ऋण	अनुदान	कुल
1	24 परगना			-			-			-		0.26	0.26	-	0.11	0.11
2	बीरभूम			-			-			-		0.10	0.10			-
3	बर्दवान			-			-			-		-	-			-
4	दक्षिण दिनाजपुर			-	0.50	-	0.50	-	-	-			-			-
5	हुगली			-			-	0.70	-	0.70		0.31	0.31	-	0.08	0.08
6	हावड़ा			-			-			-			-	-	0.03	0.03
7	जलपाईगुड़ी			-	-	0.30	0.30	-	0.56	0.56		0.66	0.66	-	0.37	0.37
8	झारग्राम			-			-			-		0.38	0.38			-
9	कोलकाता (R)	-	43.72	43.72	-	61.56	61.56	-	0.58	0.58		0.70	0.70	-	0.21	0.21
10	कोलकाता (U)	-	-	-			-	-	1.37	1.37		0.79	0.79	-	1.14	1.14

11	मालदा			-	-	0.60	0.60	-	1.64	1.64	0.75	1.22	1.97	0.45	0.36	0.81
12	मिदनापुर (पू.)	0.34	0.10	0.44	0.22	0.07	0.29	-	-	-			-			-
13	मिदनापुर (प.)				-	0.11	0.11	-	-	-	-	0.57	0.57	-	0.06	0.06
14	मुर्शिदाबाद			-			-			-	-	0.48	0.48	-	0.10	0.10
15	नदिया			-			-			-	-	0.27	0.27	-	0.14	0.14
16	पश्चिम बर्धमान			-			-			-	-	0.11	0.11	-	0.05	0.05
17	पुरबा बर्धमान			-			-			-	-	0.18	0.18			-
18	पूरबा मेदिनीपुर			-			-	-	0.11	0.11	-	0.13	0.13	-	0.04	0.04
19	दक्षिण 24 परगना			-			-			-	-	0.08	0.08	-	0.01	0.01
20	उत्तर दिनाजपुर			-			-			-	-	0.07	0.07			-
	कुल		43.82	44.16	0.72	62.64	63.36	0.70	4.26	4.96	0.75	6.31	7.06	0.45	2.70	3.15